इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021—फाल्गुन 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-42-2019-1-पांच(08).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-42-2019-1-पांच(88), भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैरा में, ''वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20'' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे.

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से लागू मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-42-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42-2019-1-पांच(08), दिनांक 23 फरवरी, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd February 2021

No. F A 3-42-2019-1-V(08).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereinafter referred to as ths said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F A 3-42-2019-1-V(88), Bhopal, date 22nd November 2019, namely:—

In the said notification in the opening paragraph, for the words and figures "Financial years 2017-18 and 2018-19", the words and figures "financial years 2017-18, 2018-19 and 2019-20" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force from the 15th day of October, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.